रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 231] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 28, 1971/पौष 7, 1893
No. 231] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 28, 1971/PAUSA 7, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 28th December 1971

SUBJECT:—*Import policy for Registered Exporters for the period April 1971—March 1972 Amendment No. 48.)*

No. 184-ITC(PN)/71.—Attention is invited to the Import Policy for Registered Exporters contained in the Import Trade Control Policy Book (Vol. II) for the period April 1971—March 1972, issued under the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 44-ITC(PN)/71, dated 30th April 1971.

2. The following may be inserted as sub Para 83(iv), after the existing sub para 83(iii) of Part B of Section I of Volume II of the ITC Policy Book for year April 1971—March 1972.

"83(iv) grant of 'On Account' licences. Requests for grant of "On Account" licences from Units in the Kandla Free Trade Zone for import of raw materials etc., will be considered without insisting on the minimum export performance of Rs. 10 lakhs. Requests for grant of 'On Account' licence would be considered in accordance with the other terms and conditions laid down in paras 51 to 53."

M. M. SEN,
Chief Controller of Imports and Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियन्त्रण

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 1971

विषय.—अप्रैल, 1971—मार्च, 1972 वर्ष के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति (संशोधन संख्या 48)

सं० 184 आई० टी० सी० (पी० एन०)/71.—विदेश व्यापार मन्त्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या : 44—आई टी सी (पी एन)/71, दिनांक 30-4-71 के अन्तर्गत अप्रैल, 1971—मार्च, 1972 वर्ष के लिए जारी की गई आयात व्यापार नियन्त्रण नीति पुस्तक (रैड बुक) के वा० 2 में पंजीकृत निर्यातकों के लिए निहित आयात नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. अप्रैल, 1971—मार्च, 1972 वर्ष के लिए आयात व्यापार नियन्त्रण नीति 'पुस्तक वा० 2 के खण्ड 1 के भाग—III की वर्तमान उपकंडिका 83 (3) के बाद निम्नलिखित को उपकंडिका 83 (3) (ए) के रूप में निविष्ट किया जाए :—

"83 (3) (ए) 'अन्तरिम भुगतान' लाइसेंसों की स्वीकृति कंडला मुक्त व्यापार क्षेत्र के एककों से कच्चे माल आदि के आयात के लिए 'अन्तरिम भुगतान' लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदनों पर 10 लाख रुपये का न्यूनतम निर्यात अनुपात का आग्रह किए बिना विचार किया जाएगा। 'अन्तरिम भुगतान' लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदनों पर 51 से 53 तक की कंडिकाओं में निर्धारित अन्य शर्तों के अनुसार विचार किया जाएगा।"

एम० एम० सेन,

मुख्य नियन्त्रक, आयात-निर्यात।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971